न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—40/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/40)

1. अमरचंद पुत्र चतुर्भुज जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. चरण सिंह पुत्र मांगीलाल आयु 42 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

2. बच्छराज पुत्र शुभकरण जाति जाट
3. भवानी सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत
4. दी मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तिहारी
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद
6. बच्छराज पुत्र रामकरण जाति जाट
7. रामराज पुत्र रामदेव जाति जाट
8. करण सिंह पुत्र मांगीलाल जाति जाट
9. बदाम पत्नि मांगीलाल जाति जाट
10. मनराज पुत्री मांगीलाल जाति जाट
11. सैना पुत्री मांगीलाल जाति जाट
12. रामचंद्र पुत्र मादू जाति जाट
13. सुखचैन पुत्र मांगीलाल जाति जाट
14. सुमित्रा पुत्री मांगीलाल जाति जाट

समस्त निवासीगण ग्राम तिहारी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.01.2013 राजस्व वाद संख्या 18/2022</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री लवप्रतापसिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अजीतसिंह राठौड, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 व 6 से 14
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 05
4. रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित।

14.2.2024

निर्णय

दिनांकः— 14.02.2024 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 18/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अर्थात् विपक्षी कमांक–1 चरणसिंह ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी का आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः रेस्पोडेंट कमांक–1 को 30 फुट चौडा रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वांछित किया गया। उक्त के प्रतिउत्तर में सिर्फ और सिर्फ अपीलार्थी ने सक्षम जवाब पेश किया और निवेदन किय कि समस्त विपक्षी सिवाय बैंक व राज्य सरकार के मध्य दूरभि संधि है जो येन केन प्रकारेण अपीलार्थी को क्षति पहुंचाना चाहते है तथा साथ ही यह भी अभिव्यक्त किया कि पूर्व में भी समान इसी मार्गाधिकार के लिए भवानी सिंह व रूप सिंह ने समान तथ्यों पर राजस्व प्रार्थना पत्र 6/2022 प्रस्तुत किया था जिसे निर्णित कर दिया गया जिसमें भवानी सिंह व रूप सिहं को मार्गाधिकार नहीं दिया गया तथा समान ही रिपोर्ट पूर्व में तहसील कार्यालय से प्राप्त हुई थी इसके अतिरिक्त प्रकरण संख्या 19/2022 मार्गाधिकार के लिए पेश किया गया है पूर्व में दिए गए निर्णय में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर प्रश्नगत जो दोनों ही प्रकरण में समान था मार्गाधिकार नहीं दिया था इस प्रकार पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। उक्त तथ्यों पर प्रसारित आदेश विधि विरूद्ध एवं समान न्यायालय के करीब करीब समान पक्षकारों के मध्य विद्यमान विवाद में एक प्रकरण 6/2022 में मार्गाधिकार नहीं दिया गया उसके उपरांत समान भूमि के लिए भवानी सिंह के स्थान पर चरण सिंह ने प्रार्थना पत्र 18/2022 प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर लिया गया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 18/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा किए गए मौका निरीक्षण में यह पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता दीर्घतम है जबकि बनेवडी मार्ग से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि तक रास्ते की मांग कर सकते है जो कि लघुत्तम है मौके पर प्रार्थीगण ने यह भी अवगत कराया कि वांछित रास्ते का प्रयोग प्रार्थीगणों द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है एवं यह रास्ता उनके गांव तिहारी से सीधा और सुलभ है। बनेवडी रोड से प्रार्थीगण के खेत तक जाने हेतु रास्ता लंबा पडेगा जो उनके लिए सुविधाजनक नहीं है। धारा 251ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु लघुत्तम रेकार्डेड मार्ग उपलब्ध कराने की है चाहे वह सुलभ सुविधाजनक हो या नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण अपनी सुविधा व सुलभता हेतु अपनी कृषि जोत तक जाने के लिए दीर्घतम रिकार्डेड रास्ते की मांग कर रहे है जो न्यायोचित नहीं है। उक्त प्रकार जिस मार्गाधिकार पर प्रकरण संख्या 6/2022 में निर्णय पारित हो गया था और मार्गाधिकार नहीं दिया गया उसी कृषि भूमि खसरा नम्बर 4271 व 546/6554 पर इस विवादग्रस्त अपीलाधीन आदेश में मार्गाधिकार दे दिया गया है जबकि पूर्व में प्रस्तुत वाद और वर्तमान में प्रस्तुत वाद 18/2022 व 6/2022 में काफी समानता है पक्षकार भी करीब करीब एक जैसी ही है इस प्रकार चंद व्यक्तियों के समूह द्वारा एक षडयंत्र पूर्वक अपीलार्थी की कृषि भूमि को हडपने के लिए मार्गाधिकार का परिवेश बनाया और उस प्रर अग्रसित होकर प्रार्थना पत्र लगातार 6/2022, 18/22 व 19/2022 अमरा बनाम अमरचंद के नाम से प्रस्तुत किए जिसमें समान विषयवस्तु थी परंतु 6/2022 में मार्गाधिकार नहीं दिया गया 18/2022 में मार्गाधिकार समान स्थान पर समान विषय वस्तु पर प्रदान कर दिया गया और आदेश की दिनांक 13.1.2023 को प्रकरण संख्या 19/2022 अमरा बनाम अमरचंद को नोट प्रेस कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकतम 30 फुट

14.2.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी

का रास्ता देकर विधि की भारी भूल कारित की है किसी भी व्यक्ति को 30 फुट चौडा मार्गाधिकार किस आधार पर दिया जा सकता है यह तो सिर्फ विधि में वर्णित अधिकतम सीमा है इस प्रकार अधिकतम संपूर्ण मार्ग 30 फुट चौडा जो कि लंबाई में कितने मीटर है इसका अनुमान लगाए बगैर प्रार्थी/अपीलार्थी की काफी सारी कृषि भूमि को करीब करीब मार्गाधिकार में सम परिवर्तित कर दिया गया है जिससे प्रार्थी के /अपीलार्थी के दोनों रकबों के खेत लगभग समाप्त हो गए है और अपीलार्थी कृषक को उसकी सम्पूर्ण कृषि भूमि से वंचित किया गया है। तदनुसार प्रसारित आदेश विधिक परिपेक्ष में न होने से अपास्त किए जाने योग्य है। पूर्व न्याय निर्णय के आधार पर प्रकरण संख्या 6/2022 के निर्णित होने पर यह प्रकरण 18/2022 विधि विरूद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाने पर सार हीन व भार हीन था इस तथ्य को न्यायालय ने दर किनार कर निर्णय प्रसारित किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 18/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल तिहारी के खसरा नम्बर 601 रकबा 0.15, 603, रकबा 0.09, 604 रकबा 0.11, 621 रकबा 0.11, 622 रकबा 0.09, 607 रकबा 0.05, 590 रकबा 0.27, 605 रकबा 0.25 की आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। तथा प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 4271 रकबा 0.45, 546/6554 रकबा 1.34, 641 रकबा 0.25 व 639 गै0मु0 रास्ता में से होते हुए अपने खातेदारी खेतों में प्रवेश करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि ग्राम तिहारी में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.15, 603 रकबा 0.09, 604 रकबा 0.11, 621 रकबा 0.11, 622 रकबा 0.09, 607 रकबा 0.05, 590 रकबा 0.27, 605 रकबा 0.25 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 4271 रकबा 0.45, 546/6554 रकबा 1.34, 641 रकबा 0.25, 640 रकबा 0.15 व 639 गै0मु0 रास्ता में से प्रार्थी को 30 फिट चौडा रास्ता न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकाड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. सर्वप्रथम अपील को मियाद बिंदु के संदर्भ में देखा गया अपीलाधीन आदेश 13.1.2023 का है। अपीलांट द्वारा दिनांक 20.1.2023 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है अपील अंदर मियाद है।

7. स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार अपीलाधीन आदेश की वजह से अपीलांट के खेतों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि काफी लंबाई व चौडाई में रास्ते बाबत आदेश दिया गया है। अपीलांट प्रार्थी द्वारा सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति का बिंदु अपने पक्ष में बताया व अंत में निवेदन किया कि दिनांक 13.1.2023 प्रकरण सख्या 18/2022 में प्रसारित आदेश को अपील निर्णय तक स्थगित किया जाए। स्थगन प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई दिनांक 2.2.2023 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना प्रभाव व कियान्विति को आगामी पेशी दिनांक 3.3.2023 तक स्थगित रखे जाने का आदेश दिया।

8. अपील पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 चरण सिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष 251ए आरटी एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसका निर्णय 13.1.2023 को सुनाया गया था खसरा नम्बर 601,603,604,621,622,607,590,605 सहखातेदारी की भूमियां है। खसरा नम्बर 4271, 546/6524, 641 अपीलांट की भूमियां है 639 गै0मु0 रास्ता है जो खातेदारी में दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी

है। इससे पूर्व भवानीसिंह पुत्र कल्याणसिंह द्वारा 6/2022 नम्बर से प्रकरण दर्ज करवाया गया था। जो खारिज हो चुका है। अन्य प्रकरण उमराराम एवं अन्य 19/2022 में प्रत्याहारित कर लिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त केस कनटेस्टेड केस था दिनांक 5.7.2022 को मौके पर हमारी उपस्थिति नहीं हुई पटवारी के हस्ताक्षर हटाए हुए है। नजरी नक्शा पूर्ण नहीं है जिसमें इनके खेत दिखाई पडते हो सिर्फ खसरा नम्बर 601 दिखाई पड रहा है। प्रकरण ईस्टोपल के सिद्धांत से प्रभावित है। आवश्यक पक्षकार नहीं जोडे गए जबकि समस्त सहखातेदार आवश्यक पक्षकार थे कांता को पक्षकार नहीं बनाया गया नोटिस तैयार किए गए मगर तामील नहीं करवाए गए दूरभाष से तामील को नहीं माना जाएगा नियम 5 में अभी तक दूरभाष से तामील को नहीं जोडा गया है। नियम 68 व 69 की पालना नहीं हुई है। स्वतंत्र गवाह की रिपोर्ट नहीं की गई। मौके पर हम प्रस्तुत नहीं थे। मौका रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों की पुष्टि बताई गई हैं जबकि एकपक्षीय रिपोर्ट है।

9. रेस्पोडेंट के वकील द्वारा बताया गया कि अप्रार्थी चरणसिंह द्वारा रास्ते हेतु सिर्फ एकप्रार्थना पत्र दिया गया जो 18/2022 है अन्य प्रार्थनापत्रों से हमें कोई लेना देना नहीं है। भवानीसिंह से प्रार्थनापत्र लगवाकर उनके द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करवाया गया भवानीसिंह प्रफोर्मा पक्षकार है। एक अन्य प्रार्थना पत्र (तृतीय)नोटप्रेस किया गया प्रस्तावित रास्ता संख्या 1 से हमें जुडाव है तीसरा रास्ता अन्य ग्राम से है। इसी रास्ते से सभी लोग जाते है नहर की मोरी खोलने जाते है ग्रामवासियान दिनांक 28.7.2022 की मौका रिपोर्ट है। दिनांक 3.8.2022 को एसडीओं के यहां भेजी गई जो दिनांक 4.8.2022 को एसडीओं के रिडर द्वारा रिसीव की गई। उभयपक्ष की उपस्थिति थी 6 माह में मौका रिपोर्ट को चुनौती दी जानी चाहिए थी। दिनांक 25.7.2022 को पटवारी द्वारा सभी को सूचना दी गई। कांता चरणसिंह की बहन ही है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने सहमति दी है। हमे जो रास्ता दिया गया है वह सबसे लघुत्तम है।

रिबूटल में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि यह भी सहखातेदार है कोई कॉलीजन नहीं है। पक्षकार बनाया जाए चाहे उनसे रिलिफ नहीं चाही गई हो। उभयपक्ष उपस्थित थे रिपोर्ट मात्र को चैलेंज नहीं किया जाना कोइ डिमेरिट नहीं है। तीसरा विकल्प भी उपलब्ध है।

बहस सुनी गई बहस बिंदुओं पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश का ऑपरेटिव पार्ट निम्नानुसार है– तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गई बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 601 रकबा 0.15, 603 रकबा 0.09, 604 रकबा 0.11, 621 रकबा 0.11, 622 रकबा 0.09, 607 रकबा 0.05, 590 रकबा 0.27, 605 रकबा 0.25 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 से 14 की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नम्बर 4271 रकबा 0.45, 546/6554 रकबा 1.34, 641 रकबा 0.25, 640 रकबा 0.15 व 639 गै0मु0 रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। प्रार्थी का कथन है कि उनकी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु मौके व रेकार्ड में कोई रास्ता नहीं होने से उन्हें चाहा गया मार्ग उपलब्ध कराया जावे। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु 2 मार्ग दिखाए गए है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग रास्ता नम्बर 1 के रूप में अंकित है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त मार्ग 40 वर्षो से उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त रास्ता तालाब की मोरी के साथ–साथ है। मोरी के दूसरी ओर कुछ भूमियों की किस्म नहरी है जिनकी सिंचाई हेतु मोरी खोलने हेतु इस रास्ते का उपयोग किया जा रहा हैं जिसे ग्राम तिहारी के वर्किंग नक्शे में डोट लाईन से दर्शाया गया है। ग्राम की आबादी से चाहे गए खसरा नम्बर का रास्ता पैदल जाने वालो के लिए सीधा व निर्बाध है। मौका रिपोर्ट में अंकित दूसरा रास्ता प्रथम रास्ते से दीर्घ बताया गया है। आराजी मुतनाजा पर आवागमन हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया गया। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग छोटा, सुलभ व आसान हैं अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी

आराजी बाबत पूर्व में भी प्रार्थना पत्र पेश किया है किंतु पूर्व प्रकरण में प्रार्थी अलग है तथा प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी अलग हैं मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ते का उपयोग 40 वर्षो से किया जा रहा हैं प्रार्थी के पास आवागमन हेतु कोई अन्य मार्ग उपलब्ध नहीं है अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने उनकी भूमि में से रास्ता दिए जाने की सहमति दी है। अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब से प्रार्थना पत्र के कथनों का खण्डन नहीं होता है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु लघुत्तम रेकार्डेड मार्ग उपलब्ध कराने की है। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

12. तहसीलदार से उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 5.7.2022 से 6 बिंदुओं पर सूचना चाही गई थी उन बिंदुओं पर अपनी पृथक से कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर गिरदावर कानपुरा द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 28.7.2022 को मूल ही उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद को दिनांक 3.8.2022 को प्रेषित कर दी गई। उक्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी द्वारा चाही गई बिंदुवार रिपोर्ट के अनुरूप नहीं भेजी गई। साथ ही तहसीलदार द्वारा खुद को सौंपे गए कार्य को डेलीगेट किया गया है। गिरदावर कानपुरा द्वारा कोई नोटिस पक्षकारों को अपने हस्ताक्षर से मौके पर उपस्थित होने बाबत नहीं भेजा गया है अपितु पक्षकारों को नोटिस पटवारी तिहारी द्वारा टेलीफोन के माध्यम से भिजवाया जाना पाया जाता है। जो नियमों के अनुरूप नहीं है। मौका पर्चा दिनांक 26.4.2022 पूरी तरह से अस्पष्ट है जिसमें निरीक्षण रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है। अपितु सूचना बाद में प्रस्तुत कर देने बाबत निम्नानुसार अंकन है– "उक्त मौके पर पहुंचने हेतु वादी एवं प्रतिवादी तथा अन्य मौतबिरान के साथ चाही गई भूमि पर पहुंचनेके दो संभावित रास्तों का निरीक्षण किया जिनका ब्यौरा 251 ए के तहत रिपोर्ट में रकबा एवं खातेदार सहित सूचना प्रस्तुत कर दी जाएगी। मौके पर मौका पर्चा बनाया गया उपस्थितों के हस्ताक्षर करवाए तथा पढकर सुनाया।" उक्त मौका पर्चा पर बच्छराज, रामराज रामरतन, करणसिंह, भवानीसिंह बस बुद्धराज, मनराज रंगलाल, लाला, उमराव, चरणसिंह, सुखचैन,मैना के हस्ताक्षर है तथा रामचंद्र व बिदाम के अंगूठा निशानी है। अमरचंद वर्तमान अपीलांट मौके पर उपस्थित नहीं है बैंक मेनेजर मौके पर उपस्थित नहीं है सुमित्रा पुत्री मांगीलाल जाट मौके पर मौजूद नहीं है।

13. उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.1.2023 से अपीलांट के निम्न खसरा नम्बर प्रभावित होते हैं। खसरा नम्बर 4271 रकबा 0.45 में से 0.2121 है0 एवं खसरा नम्बर 546/6554 रकबा 1.34 है0 में से 0.2120 है0 भूमि प्रभावित होती है। खसरा नम्बर 4271 की लगभग आधी भूमि रास्ते में प्रस्तावित कर दी गई है जो उचित नहीं है।

14. उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार नसीराबाद को अपने पत्र कमांक दिनांक 5.7.2022 से 6 बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट मय नजरी नक्श उभयपक्ष की उपस्थिति में दिनांक 26.7.2022 से पूर्व न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही अपनी स्पष्ट रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए थे। मगर तहसीलदार स्वयं मौके पर निरीक्षण हेतु नहीं गए। ना ही उनके द्वारा कोई अपनी ओर से स्पष्ट रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को भिजवाई गई तहसीलदार नसीराबाद के द्वारा आईएलआर कानपुरा द्वारा तैयार मूल रिपोर्ट को ही उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद को भिजवाया जाना पाया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका स्थल निरीक्षण किया गया है। राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 251 ए के तहत उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बनाए हुए हैं। जिसके नियम 69 पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटान में यह अंकित किया हुआ है। " प्रपत्र एक में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल (साईट) का निरीक्षण करेगा या जो किसी अधिकारी द्वारा जो भू निरीक्षक अभिलेख के पद (रैंक) से नीचे का नहीं होगा एंव निरीक्षण करवाएगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी ओर अग्रिम जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के बाद यदि इससे अपना समाधान कर लेता है कि " 1. आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक

19.2.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी

उपयोग के लिए नहीं है एवं 2. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नए रास्ते के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है। वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। यह आवेदन पत्र आवेदन किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रभावित पक्षकार से आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई है जो कि नियम 69 की अवहेलना है।

15. मौका निरीक्षण रिपोर्ट में रास्ता संख्या 1 व 2 बताए गए है। रास्ता संख्या 1 को लघुत्तम बताया गया है मगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि एक ही खातेदार के नाम है जो कि अपीलांट है अर्थात रास्ता नम्बर 1 से अपीलांट को बहुत अधिक क्षति होना संभावित है।

16. बहस में वकील अपीलांट द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण 6/2022 भवानीसिंह बनाम अमरचंद बाबत कथन किए हैं। उक्त प्रकरण में भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह माना था कि उनके द्वारा चाहा गया रास्ता दिए जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 अमरचंद वर्तमान अपीलांट की काफी भूमि खराब होगी। इस केस में प्राप्त रिपोर्ट में दो अन्य रास्ते भी बताए गए है, तथा प्राथीगण द्वारा चाहे गए रास्ते को दीघतम बताया गया है इस आधार पर उनका 251 ए का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.6.2022 को खारिज किया गया था।

17. साथ ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधिकतम चौडाई 30 फीट में रास्ता स्वीकृत किया गया है जो आश्चर्यजनक है, तथा इसकी वजह से अपीलांट के खेतों को भारी नुकसान होने की आशंका है। न्यायालय का यह मानना है कि गिरदावर द्वारा मौका निरीक्षणके पूर्व पक्षकारों को मौके पर उपस्थित होने के बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया है, अपितु पटवारी द्वारा नोटिस तैयार करना पाया जाता है साथ ही नोटिस की तामील सम्यक रूप से नहीं करवाई गई है। मौका निरीक्षण हेतु अपीलांट अमरचंद उपस्थित नहीं था, मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई आक्षेप आमंत्रित किया जाना नहीं पाया जाता ना ही उनके द्वारा अपने निर्णय में पूर्व निर्णित प्रकरण संख्या 6/2022 पर अपने निर्णय में यथोचित टिप्पणी की है। न्यायालय का यह मानना है कि उक्त प्रकरण को पुनः उचित निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

18. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 18/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2023 को निरस्त किया जाकर पत्रावली इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उपखण्ड अधिकारी उभयपक्षों को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर व नियम 69 की पालना सुनिश्चित करवाते हुए नए सिरे से गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

14.2.2024

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

19. निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

14.2.'24

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर